an>

Title: Need to improve the service condition of Grameen Dak Sevaks in the country.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) ः ग्रामीण डाक सेवा नेटवर्क जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा एवं अन्य महत्वपूर्ण जनोपयोगी सेवाओं को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। ग्रामीण आई.सी.टी. परियोजना के कार्यान्वयन के उपरांत ग्रामीण डाकघरों तथा ग्रामीण डाक सेवकों की स्वीकार्यता और सुदृढ़ होगी। वर्तमान में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राम उदय से भारत उदय की मान्यता लेकर चल रहे हैं उसी के तहत इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण डाकघरों को सौर ऊर्जा आधारित हस्तचालित उपकरण देने जा रहे हैं। शाखा डाकघर विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रांरभ किये जाने वाले भुगतान बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं।

उक्त डाकघरों में कार्यरत लगभग 2.60 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों में सुधार के बारे में पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल समितियां बनाने का कार्य किया है और उनकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई, परिलक्षित नहीं हुई। कार्यरत डाकसेवक नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर हैं, इन्हें नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता। फिर भी, ये समर्पण भाव से अपनी सेवा में लगे रहते हैं। जन सामान्य की ओर से इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक (आचरण व नियोजन) नियमावली 2011 द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये नियम गैर-वैधानिक स्वरूप में हैं।

मा. प्रधानमंत्री जी के ग्राम उदय से भारत उदय को सत्य निरूपित करने हेतु ग्रामीण डाक सेवकों का दर्जा, सेवा शर्तें, वेतन ढांचा, नियोजन की शर्तें, सेवा निर्मुक्ति, हित लाभ अन्य सामाजिक सुरक्षा हित की समीक्षा करते हुए इनके हितार्थ अविलंब घोषणा की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक सेवक का स्थायी हित हो सके।